कोटपूतली जिला जयपुर को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 09 के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तल्ब किया गया । रेस्पोडेन्ट की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तल्ब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 09 की ओर से श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बिना जबाब पेश किये सीधी बहस के लिए निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 9 के वकील उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ली जाती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी । वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का दादा व सुसर गैंदाराम पुत्र नारायण मीणा साकिन आसपुरा था, जो दिनांक 10/5/2008 को फौत हो गया है, जिसके वारिसान अपीलान्ट का पिता व पति नाहरसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 9 है। अपीलान्ट का पिता व पति नाहरसिंह अपने पिता गैंदालाल से पूर्व ही दिनांक 13/7/86 को फौत हो गया था । गैंदालाल की मृत्यु के पश्चात् उसकी फौतगी का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 09 ने अपने नाम दर्ज करा लिया तथा अपीलान्ट के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं किया, जबकि अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1310 दिनांक 13/12/2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली वाके ग्राम भैसलाना तहसील कोटपूतली निरस्त फरमावे तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 09 के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन इन्तकाल जांच के उपरान्त ही खोला गया है, जो सही है। अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण विरासत का खोलते समय अपीलान्ट का नाम दर्ज ना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 09 के नाम नामान्तरकरण खोला है जिसे अपास्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1030 दिनांक 13/12/2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली वाके ग्राम भैसलाना तहसील कोटपूतली जिला जयपुर खारिज कर तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण इस निर्देश के साथ वापस प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.8.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)